

डुप्लीकेट परिचय-पत्र बावत्

प्रति,

सचिव
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद
जबलपुर

पासपोर्ट साईज
फोटो का चस्पा
कर स्थाननीय
अधिवक्ता संघके
अध्यक्ष/सचिव से

विषय-परिचय- पत्र की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि मेरा परिचय-पत्र गुम हो गया है जिसकी द्वितीय प्रति प्रदान करने का कष्ट करे, जिसका शुल्क 100/- डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न है। आवेदक की अधिवक्ता संबंधित जानकारी निम्नानुसार हैं -

1. Name - कृपया अंग्रेजी के केपीटल लेटर में लिखे -----
2. En. No. - MP/

स्थान.....
दिनांक.....

आवेदक अधिवक्ता
नाम.....
पता.....

डुप्लीकेट सनद बावत्

प्रति,

सचिव
मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद
जबलपुर

पासपोर्ट साईज
फोटो का चस्पा
कर स्थाननीय
अधिवक्ता संघके
अध्यक्ष/सचिव से

विषय- डुप्लीकेट सनद प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु।

महोदय, निवेदन है कि मेरा मूल सनद गुम हो गया है जिसकी द्वितीय प्रति प्रदान करने का कष्ट करे, जिसका शुल्क 1250/- (स्टाम्पयुक्त) एवं 500/- (वगैर स्टाम्पयुक्त) डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न है। आवेदक की अधिवक्ता संबंधित जानकारी निम्नानुसार हैं -

- 1 नाम (हिन्दी में) -----
- 2 पिता का नाम (हिन्दी में)
2. En. No. - MP/

स्थान.....
दिनांक.....

आवेदक अधिवक्ता
नाम.....
पता.....

सनद रिजम्शन पुनः बहाल हेतु शुल्क एवं निम्न दस्तावेजों को प्रेषित किया जाना आवश्यक है :-

1. सुवाच्य शब्दों में टंकन किया गया पूर्ण आवेदन पत्र जिसमें अपना नाम, पता व नामांकन क्रमांक मोबाइल न.का स्पष्ट उल्लेख किया गया हों ।
2. 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर (Affidavit) हलफनामा में स्पष्ट घोषणा की जावे कि आप निलंबन की अवधि में एडवोकेट एक्ट की धारा 24(ए) के अंतर्गत दर्शाई गई किसी भी अयोग्यता के पात्र नहीं हैं एवं सेवा काल की अवधि में विभागीय जाँच या अन्य किसी प्रकार से दंडित नहीं किये गये हैं । रिटायरमेन्ट होने के बाद मैं कोई व्यवसाय नहीं कर रहा हूँ केवल विधि का व्यवसाय करूँगा । एवं जहाँ-2 पर न्यायाधीश के रूप में कार्यरत् था वहाँ पर विधि का व्यवसाय नहीं करूँगा । भारत के किसी भी न्यायालय में मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है ।
3. नौकरी से सेवा-निवृत्ती का प्रमाण पत्र अथवा यदि व्यवसाय कर रहे थे तो बन्द करने का प्रमाण गुमास्ता/लायसेंस/पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने का दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करें।
4. सनद रिजम्शन हेतु निम्न शुल्क बैंक ड्राफ्ट /चालान के माध्यम से नीचे दर्शायेनुसार कुल रू. 5000/- का देय होगा :-

1. सनद पुनः बहाल (Resumption) हेतु शुल्क रुपये 3400/- का ड्रा. स्टेट बार कौंसिल ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर के नाम से देय होगा ।

2. बार कौंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फण्ड रू. 100/- के नाम से देय होगा ।

4. एडवोकेट वेलफेयर फण्ड बार कौंसिल ऑफ इंडिया, बार कौंसिल जबलपुर के नाम से रू. 1500/- एवं परिचय-पत्र हेतु एक पास पोर्ट साइज की फोटो देय होगी।

5. यदि आपके द्वारा सनद का सस्पेन्शन नहीं कराया गया है इस हेतु पृथक से आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं शुल्क रुपये 1500/- देय होगा । पहले सनद का सस्पेन्शन होगा एवं बाद में रिजम्शन होगा ।

6. यदि आप न्यायिक सेवा में थे तथा जिस-जिस स्थान पर सेवारत् थे उन सभी स्थानों पर विधि का व्यवसाय नहीं कर सकेंगे इस हेतु शपथ पत्र देय होगा ।

नोट- आपके द्वारा उपरोक्त कार्यवाही की पूर्ति किये जाने के पश्चात् प्रकरण तैयार कर नामांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा । रिजम्शन होने के बाद आपको बार कौंसिल से पुनः वकालत करने हेतु अनुमति सूचना पत्र भेजा जावेगा । उसके बाद ही आप केवल वकालत का व्यवसाय कर सकेंगे । पत्र का जवाब देते समय इस पत्र की छाया प्रति अवश्य रूप से संलग्न कर प्रेषित करें।